समाहरणालय, मधेपुरा
(विधि-व्यवस्था कोषांग)

-: आदेश :-

13-मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन, 2014 का मतगणना दिनांक 16-05-2014 को निर्धारित है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-135(ग) के अन्तर्गत एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-576/14/2014/EPS दिनांक 18-03-2014 के आलोक में मतगणना की तिथि को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के तहत् स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतगणना सुनिश्चित कराने एवं उसके पश्चात् विधि-व्यवस्था संधारण के निमित्त, दिनांक 16-05-2014 को प्रातः 05:00 बजे से 12:00 बजे रात्रि तक सम्पूर्ण मधेपुरा जिलान्तर्गत शराब की बिक्री, देने एवं वितरण पर रोक लगाया जाना अनिवार्य है।

तदालोक में, बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा 26 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा 13-मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन, 2014 के मतगणना के अवसर पर सम्पूर्ण मधेपुरा जिला के लिए आदेश देता हूँ कि, दिनांक 16-05-2014 के 05:00 बजे पूर्वा0 से 12:00 बजे रात्रि तक स्पिरिट्युक्त (Spirituous), किण्वित (Fermented) या मादक लिकर (Intoxicating Liquors) या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा, न दिया जायेगा और न वितरित किया जायेगा। साथ ही स्पिरिट्युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य नशीले पेय पदार्थो के सम्पूर्ण जिले में किसी होट्ल/ रेस्तरॉ/ दुकान/ किसी निजी अथवा सार्वजनिक स्थल पर न तो विक्रय किया जायेगा, न दिया जायेगा और न वितरित किया जायेगा। इस प्रकार दिनांक 16-05-2014 के 05:00 बजे पूर्वा0 से 12:00 बजे रात्रि तक की अवधि को सम्पूर्ण मधेपुरा जिला के लिए शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित करता हूँ।

13-मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन, 2014 का मतगणना के अवसर पर सम्पूर्ण जिले में शुष्क दिवस (Dry Day) की अवधि में किसी होट्ल/ रेस्तरॉ/ क्लब या अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जो शराब की बिक्री एवं पेशी करने से जुड़े हुए है, द्वारा किसी व्यक्ति को शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी अथवा उसे पेश नहीं किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जो उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता है, दण्ड का भागी होगा, उन्हें छः महिने तक का कारावास हो सकता है, या 2,000/- रू0 तक का अर्थ दण्ड हो सकता है या दोनों।

यह आदेश सम्पूर्ण जिला मधेपुरा के लिए प्रभावी होगा।

अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा /सभी संबंधित थानाध्यक्ष इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा एक दिन पूर्व अनुज्ञप्तिधारी दुकानों का स्टॉक का सत्यापन भी करायेंगे।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1447 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 13/05/ /2014

प्रतिलिपि : सामान्य प्रेक्षक, 13-मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र /आयुक्त, उत्पाद, बिहार, पटना/ सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना / आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ पुलिस उप महानिरिक्षक, कोशी प्रक्षेत्र, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा / अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज /संबंधित थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि सम्पूर्ण मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी अनुज्ञप्तिधारियों को विधिवत् सूचना की तामिला करवा कर इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को ई-मेल से भेजने तथा वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

13/05/14

जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।

Elec./Dry day